भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 59

(जिसका उत्तर गुरुवार, 05 दिसंबर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 (शक) को दिया गया)

<u>एक व्यक्ति कंपनी पंजीकरण</u>

59. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्यमियों हेतु एक व्यक्ति कंपनी पंजीकरण का क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार पुराने पणधारी प्राइवेट लिमिटेड पंजीकरण नियमों की निबंधन और शर्तों में कतिपय ठोस शिथिलीकरण पर भी विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पंजीकरण नियमों के अनुसार हथकरघा, हस्तशिल्प, आदि के लघु उद्यमियों को विभिन्न छूटें दी जाएं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री सचिन पायलट)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधान अभी तक लागू नहीं हुए हैं।

(ख) से (ड.): प्रारूप नियम तैयार हो गए हैं तथा हितधारकों की टिप्पणियों और विधायी जांच के पश्चात् यथासमय अधिसूचित किए जाएंगे।

*****